न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 06/2021

अपीलार्थी– | ***बनाम*** | **उत्तरदाता–**

भेराराम पुत्र नेनाराम जाति कुम्हार
निवासी बिसारणिया तहसील
चौहटन जिला बाड़मेर

तहसीलदार चौहटन
जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.10.2020 जो प्रकरण सं. 32/2020 सरकार बनाम भेराराम में तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पा0 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.09.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण सं. 32/2020 सरकार बनाम भेराराम में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का बिसारणिया द्वारा तहसीलदार चौहटन के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिसारणिया के खसरा नम्बर 323 रकबा 0–17 बीघा किस्म गैर मुमकीन कुआ भूमि में से 49 वर्ग फीट पर गैर सायल भेराराम पुत्र नेनाराम जाति प्रजापत सा0 देह द्वारा संवत् 20[illegible] अवैध रूप से अस्थाई कबट द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया [illegible] नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्ज कर गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार चौहटन द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **20.10.2020** के द्वारा **01**/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जरिये अपील मीमो निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलार्थी की दुकान खसरा नंबर 324 की आबादी भूमि पर वर्षों से बनी हुई है। ग्राम पंचायत बिसारणिया तहसील चौहटन में आबादी भूमि खसरा नंबर 324 स्थित है जिसमें आवासीय एवं वाणिज्यिक निर्माण विभिन्न लोगों द्वारा करवाये हुए हैं तथा कुछ लोगों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे भी दिये गये हैं। अपीलाधीन भूखण्ड पर अपीलान्ट द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व छपरा बनाया गया तथा रोजी रोटी हेतु सब्जी बेचने की दुकान बनाई गई जिसमें वह सब्जी व किराणा की दुकान चलाता है। अपीलाधीन उक्त भूखण्ड पर बिजली का कनेक्शन अपीलार्थी के नाम से लिया हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अगस्त 2020 में इस भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो ग्राम पंचायत के समक्ष विचाराधीन है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.11.2019 को अपीलार्थी को एक नोटिस दिया गया जिसमें अपीलार्थी को कहा गया कि व उक्त दुकान हटाकर कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द करे। इस पर अपीलार्थी ने जिला कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायतीराज अधिनियम पेश की जो प्रकरण संख्या 32/2019 आदिनांक न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त निगरानी में दिनांक 27.11.2019 को स्थगन आदेश जारी किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच व ठेकेदार की मिली भगत से आबादी भूमि में अनावश्यक रूप से बहुत बड़े चौराहे का निर्माण सरकारी राशि से बनाने की योजना बनाई। विकास अधिकारी ने इस चौराहे के निर्माण के संबंध मे अपनी राय व्यक्त करते हुए स्पष्ट लिखा कि बहुत बड़ा चौराहा निर्मित करने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त ठेकेरदार ने तहसीलदार से मिलकर अपीलार्थी के विरूद्ध नया मुकदमा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्ज करवाया जाकर अपीलार्थी को नोटिस दिया जिसमें बताया कि अपीलार्थी द्वारा खसरा नंबर 322 व 323 गै0मु0 कुआ की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करवाया है जिसे हटाया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त नोटिस के कथनों का खण्डन किया किन्तु तहसीलदार ने अपीलार्थी की कोई बात नहीं सुनी। लिहाजा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.01.2021 अपीलाधीन आदेश की नकल मांगने पर दिनांक 22.01.2021 को मिली, ऐसे में अपीलार्थी की अपील अन्दर मयाद होने से अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम बिसारणिया के खसरा नंबर 323 रकबा 0–17 बीघा किस्म गैर मुमकीन कुआ भूमि में से 49 वर्ग फीट पर अस्थाई कबट रखकर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उक्त अपीलांट भूखण्ड पर अपीलांट महज अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। पुराना कब्जा होने मात्र से गैर मुमकिन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कुआ की प्रतिबंधित भूमि पर काबिज रहने के अधिकार अपीलांट को नहीं है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में हलका पटवारी बिसारणिया की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर उस पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

7. हमनें अपीलांट की अपील एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को 50 वर्षों से पुराना गैर मुमकीन भूमि कुआ पर न होकर गैर मुमकीन आबादी मे होना प्रकट किया है, किन्तु हलका पटवारी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांट का कब्जा गैर मुमकिन कुआ की भूमि पर है। इस संबंध में अपीलांट ने अपने कब्जे का सीमाज्ञान एवं भू–माप का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अपीलांट ने इस अपील में ग्राम पंचायत की कार्यवाही का आलम्ब लेकर प्रकट किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा उसके आबदी भूमि में किये गये अतिक्रमण के संबंध में नोटिस व कार्यवाही विचाराधीन है तथा उसका कब्जा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में होने का कथन किया है। जबकि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के कब्जे को रेकर्ड अनुसार गैर मुमकीन कुआ पर होने से धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का निवेदन किया गया हैं। अपीलांट ने उक्त आबादी क्षेत्र से बाहर गैर मुमकिन कुआ की भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, जो इस आधार पर कतई वैधिक नहीं हो सकता कि कब्जा कई वर्षों से पुराना है। अपीलांट इस अपील के द्वारा मुतनाजा सरकारी भूमि पर अपने हक–स्वामित्व साबित करने में विफल रहा हैं तथा बिना किसी ठोस

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested

Lon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

साक्ष्य के अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलाधीन कार्यवाही पूर्णतया विधिसम्मत प्रतीत होती है तथा इसमें किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक **20.10.2020** यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार चौहटन को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

9. निर्णय आज दिनांक **07.09.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested